दिनांक 01.12.2022
प्रेस विज्ञप्ति 01/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कुशीनगर/थाना खड्डा/थाना पटहेरवा/थाना तमकुहीराज/ थाना रामकोला

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का एक व 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 लाख रूपये नगद**
- **एटीएम काटने के उपकरण आदि**
- **05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 18 जीवित, 06 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियो, 01 डीसीएम वाहन आदि बरामद**

दिनांक 01.12.2022 को थाना खड्डा, थाना पटहेरवा, थाना तमकुहीराज, थाना रामकोला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फाजिलनगर के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–इकराम 2–इजाजुल हक उर्फ जुल्ली उर्फ जुनैद 3–खालिद 4–इकबाल घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 5–शौकीन 6–मुस्तफा 7–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख रूपये नगद, एटीएम काटने के उपकरण आदि, 05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 18 जीवित, 06 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियो, 01 डीसीएम वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना तमकुहीराज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तमकुहीराज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया

उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इकराम के विरूद्ध जनपद मथुरा व गुजरात, हरियाणा, राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट आदि के 34 अभियोग, अभियुक्त इजाजुल हक उर्फ जुल्ली उर्फ जुनैद के विरूद्ध जनपद कुशीनगर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त खालिद के विरूद्ध जनपद कुशीनगर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त इकबाल के विरूद्ध जनपद कुशीनगर, मथुरा व पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त शौकीन के विरूद्ध जनपद कुशीनगर व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त इकराम, इजाजुल हक उर्फ जुल्ली उर्फ जुनैद, खालिद थाना तमकुहीराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2022 धारा 457/380/427 भादवि में वांछित चल रहे थे जिसमें अभियुक्त इकराम की गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये एवं अभियुक्त इजाजुल हक उर्फ जुल्ली उर्फ जुनैद व खालिद की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–इकराम निवासी कुरैशी थाना बिछोर जनपद नूर मेवात हरियाणा।

2–इजाजुल हक उर्फ जुल्ली उर्फ जुनैद निवासी कधाई थाना राजनगर जनपद मधुबनी बिहार, मूलपता सुराली थाना पोहनाना जनपद नूह मेवात हरियाणा।

3–खालिद निवासी आली थाना वहीन जनपद पलवल हरियाणा।

4–इकबाल निवासी कौसी थाना कौसी कला जनपद मथुरा।

5–शौकीन निवासी काजीपाडा कस्बा व थाना कामा जनपद भरतपुर राजस्थान।

6—मुस्तफा निवासी कामा थाना कामा जनपद भरतपुर राजस्थान।

7—अभियुक्ता।

बरामदगी

1—चोरी के 03 लाख रूपये नगद।

2—एटीएम काटने के उपकरण आदि।

3—05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 18 जीवित, 06 खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियो, 01 डीसीएम वाहन आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना मड़िहान

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 30.11.2022 को थाना मड़िहान व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त लल्लन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो जनपद मीरजापुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लल्लन निवासी गोरथरा थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली शहर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.12.2022 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मानवेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 519/2016 धारा 419/420/467/468/471 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मानवेन्द्र कुमार निवासी वार्ड नम्बर–03 थाना पिपरी जनपद सोनभद्र, स्थाई पता कुण्डेसर थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **10–10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.12.2022 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–प्रीतम 2–अंकुश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 910/2022 धारा 302/307/323/504/506 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10–10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रीतम निवासी गली रहट बडा बाजार कस्बा व थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

2–अंकुश निवासी गली रहट बडा बाजार कस्बा व थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

जनपद हाथरस/थाना सासनी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के लगभग 07 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण, कम्प्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन आदि**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 01.12.2022 को थाना सासनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–देवप्रकाश उर्फ रवि उर्फ वडेला 2–अंकित 3–कुलदीप उर्फ महाकाल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के लगभग 07 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण, कम्प्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन आदि, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.12.2021 को थाना सासनी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सासनी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, कम्प्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन आदि लूट/चोरी की घटनाओं से

सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त देवप्रकाश उर्फ रवि उर्फ बडेला के विरूद्ध जनपद हाथरस, बुलन्दशहर, मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सासनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देवप्रकाश उर्फ रवि उर्फ वडेला निवासी जरैया थाना सासनी जनपद हाथरस।

2–अंकित निवासी बारहसैनी कस्बा व थाना सासनी जनपद हाथरस।

3–कुलदीप उर्फ महाकाल निवासी जैनपुरी कस्बा व थाना सासनी जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के लगभग 07 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण, कम्प्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन आदि।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना बांसी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01.12.2022 को थाना बांसी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राप्ती नदी पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1– लक्ष्मन 2– राजेश को

गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 10 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.11.2022 को थाना बांसी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बांसी पर मु0अ0सं0 352/2022 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बांसी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लक्ष्मन निवासी बलदुपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

2–राजेश निवासी छेदकपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 10 हजार रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर/थाना स्याना

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.11.2022 को थाना खुर्जानगर व थाना स्याना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौकी सिंगरावली के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल

सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—पंकज उर्फ पिन्टू 2—दिनेश उर्फ दीपक घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त पंकज उर्फ पिन्टू जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त दिनेश उर्फ दीपक के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पंकज उर्फ पिन्टू निवासी सिकेरा थाना सिंभावली जनपद हापुड़।

2—दिनेश उर्फ दीपक निवासी जलालपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

2—02 मोबाइल फोन।

3—01 मोटर साइकिल।

जनपद मैनपुरी/थाना कोतवाली मैनपुरी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने के आभूषण व 11 चाँदी के सिक्के**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 01.12.2022 को थाना कोतवाली मैनपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईशन नदी पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1—लक्की 2—विजय उर्फ आसू उर्फ असेन्द्र को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के आभूषण व 11 चाँदी के सिक्के, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.11.2022 को थाना कोतवाली मैनपुरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली मैनपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, सिक्के आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली मैनपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लक्की निवासी पुरोहिताना थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

2—विजय उर्फ आसू उर्फ असेन्द्र निवासी पत्थर मण्डी थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—चोरी के सोने के आभूषण व 11 चाँदी के सिक्के।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद सम्भल/थाना बहजोई

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/धोखाधड़ी के 10 लाख 02 हजार 100 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन, 01 एटीएम कार्ड बरामद**

दिनांक 01.12.2022 को थाना बहजोई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी/धोखाधड़ी के 10 लाख 02 हजार 100 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 एटीएम कार्ड बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बहजोई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमन निवासी लतीफपुर पस्तौरा थाना कैलादेवी जनपद सम्भल, हालपता चितौरा रोड़ थाना बहजोई जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—चोरी/धोखाधड़ी के 10 लाख 02 हजार 100 रूपये नगद।

2—02 मोबाइल फोन, 01 एटीएम कार्ड।

जनपद बागपत/थाना रमाला

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 30.11.2022 को थाना रमाला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—अंकित 2—अनिल 3—रितिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद बागपत, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 03–03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित टयौढ़ी थाना बडौत जनपद बागपत।

2–अनिल निवासी देवा थाना बड़गांव जनपद गाजीपुर, हालपता कस्बा व थाना कुण्डली हरियाणा।

3–रितिक निवासी काठा थाना कोतवाली जनपद बागपत।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस।

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फर्रूखाबाद

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 03 किलोग्राम अवैध अफीम**
- **03 हजार 150 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.11.2022 को थाना कोतवाली फर्रूखाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ठण्डी सड़क रेलवे रोड़ के पास से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तों 1–सद्दाम 2–मंशूर 3–उदयवीर उर्फ बब्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 03 किलोग्राम अवैध अफीम, 03 हजार 150 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली फर्रूखाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सद्दाम निवासी तारवाड़ीह थाना लातेहार जनपद लातेहार झारखण्ड।

2–मंशूर निवासी मनफेरी थाना लातेहार जनपद लातेहार झारखण्ड।

3–उदयवीर उर्फ बब्लू निवासी करदौला थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 03 किलोग्राम अवैध अफीम।

2–03 हजार 150 रूपये नगद।

3–03 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद एटा/थाना जलेसर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पे0जज ई0सी0 एक्ट जनपद एटा द्वारा थाना जलेसर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शैलेन्द्र 2–रघुवीर 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––––––